



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236563
CG-DL-E-14062022-236563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2590]
No. 2590]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 2718(अ).— केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के भीतर तक अधिनियम के अधीन, कोची सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीपीएल) की कोची कोयम्बटूर सेलम एल पी जी पाइपलाइन के लिए, तमिलनाडु राज्य में सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए केएसपीपीएल ने प्रतिनियुक्ति पर का आ 2007 (अ) दिनांक 01/04/2021 भारत के राजपत्र संख्या 1870 दिनांक 24/05/2021 के अंतर्गत अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी श्रीमती शरली एंजला पी डिप्टी कलक्टर, के स्थान पर श्री ए. जे सेंथिल अरसन डिप्टी कलक्टर, जिनकी नियुक्ति नोडल अधिकारी कोची सेलम पाइपलाइन प्रोजेक्ट कोयम्बटूर है, को प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-12031/196/2017-ओआर-1/ई-19746]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 2718(E).—in pursuance of clause (a) of section 2 of the petroleum and mineral pipelines (acquisition of right of user in land) Act, 1962(50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Shri. A.J. Senthil Arasan, Deputy Collector, in place of earlier notified competent authority Ms. Sharley Angela P, Deputy Collector Vide S.O. No. 2007(E) dated 01/04/2021 published in Gazette of India No. 1870 dated 24.05.2021 on deputation to Kochi Salem Pipeline Private Limited (KSPPL), who is appointed as Nodal Officer for Kochi Salem Pipeline Project Coimbatore, to perform the functions of the Competent authority, in the state of Tamilnadu for Kochi Salem Pipeline Private Limited's Kochi-Coimbatore-Salem LPG Pipeline under the said act.

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.